भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)1-2018/पीएम1/4 नई दिल्ली, दिनांक: 06.09.2019

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: विभागीय चयन में 100% वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र शुरू करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

****

आपका ध्यान उक्त उल्लिखित विषय पर रेलवे बोर्ड के दिनांक 30.08.2019 के समसंख्यक पत्र की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि रेल पहिया संयंत्र/बेला/बिहार को दिया गया स्पष्टीकरण आपके संदर्भ के लिए संलग्न है। बहरहाल, भूलवश इसे संलग्न नहीं किया गया था।

उक्त स्पष्टीकरण सूचना और मार्गदर्शन के लिए संलग्न है।

कृपया पावती दें।

कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक)
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
प्रचारित
ई०पी०सं० 08-72
क्रमांक सं० 254/2019
पत्र सं० ई/254/2/अग्रि-23/चार
दिनांक 13.12.2019
प्रबन्धक (कार्मिक)

(पी.एम. मीना)
उप निदेशक-II/ई(एनजी)-I
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एनजी)1-2018/पीएम1/4 नई दिल्ली, दिनांक: 06.09.2019

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडियन रेलवेमेन फेडरेशन, कमरा नं.253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, कमरा नं.256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)1-2018/पीएम1/4

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 2019

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
रेल पहिया संयंत्र/बेला,
अरविंद नगर, जिला सारण,
बिहार।

विषय: विभागीय चयन में 100% वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र शुरू करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ: सीएओ/आरडब्ल्यूपी का दिनांक 19.08.2019 का पत्र सं. सीएओ/आरडब्ल्यूपी/बेला/पीयू-पत्राचार।

विभागीय पदोन्नति परीक्षा के लिए सीबीटी आयोजित करने के संबंध में आपके कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र में उठाए गए विन्दुओं की जांच की गई है और इसकी स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की गई है:-

क्र.सं.	रेल पहिया संयंत्र/बेला द्वारा उठाए गए बिन्दु	रेलवे बोर्ड की टिप्पणियाँ
(i)	प्रश्नपत्र तैयार करने और जाँचने के लिए अलग व्यक्ति - सीबीटी के मामले में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभाग की ओर से नामित किया गया अधिकारी परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र प्रकाशित करेगा। सेवा प्रदाता द्वारा दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए नामित व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्न बैंक से यादृच्छिक रूप से प्रश्न लेकर प्रश्नपत्र तैयार किया जाएगा।	प्रश्नपत्र तैयार करने और जाँचने के लिए अलग व्यक्ति: क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रश्नपत्र तैयार करने के लिए अधिकारी नामित किया जाएगा। ख) विषय-वस्तु के संबंध में मौजूदा अनुदेशों के अध्यधीन रेलवे/इकाई में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले प्रश्नपत्र तैयार करने के तौर-तरीकों का अनुपालन किया जाता है, जिसका उल्लेख आरबीई सं.97/2019 के संलग्न पत्र में भी किया गया है।
(ii)	उत्तर पुस्तिकाओं का कूटलेखन (कोडिंग) एवं कूटवाचक (डेकोडिंग) - उत्तर पुस्तिकाओं का कूटलेखन एवं कूटवाचन भी सीबीटी का भाग नहीं होगा, क्योंकि उम्मीदवार द्वारा उत्तर पुस्तिका प्रस्तुत करते ही परिणाम स्वतः तैयार हो जाएंगे।	हालांकि कंप्यूटर प्रतिक्रियाओं के आधार पर उम्मीदवारों के स्कोर/अंक की गणना स्वतः करता है, तथापि यह उल्लेखनीय है कि आमतौर पर 2 अतिरिक्त चरण शामिल होते हैं: क) मूल्यांकनकर्ता, जो विभाग के तकनीकी अधिकारी भी हैं, प्रश्नपत्र तैयार करने वाले

		व्यक्ति द्वारा दी गई उत्तर-कुंजी की द्वारा जांच करेंगे; ख) उम्मीदवारों द्वारा उत्तर-कुंजी के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करना और उसके बाद उत्तर-कुंजी को अंतिम रूप देना। उपर्युक्त (क) और (ख) दोनों के लिए, चूंकि जांचकर्ता के हस्तक्षेप से आरंभिक पुनरावृत्ति/स्कोरिंग के बाद प्राप्त अंकों में वदलाव आ सकते हैं; इसलिए जांचकर्ता के पास केवल कूटवाचन प्रतिक्रिया शीट का होना ही अधिक उचित होगा (ऑन-लाइन अथवा हार्ड कॉपी में)। उक्त चरण (क) एवं (ख) के आधार पर, जांचकर्ता द्वारा उम्मीदवारों के अंतिम स्कोर (कूटवाचन रूप में) ही साइन ऑफ किए जाएंगे। उसके पश्चात लिखित मेरिट का पता लगाने और पैनलबद्ध करने के लिए अगली कार्रवाई हेतु कूटवाचन किया जा सकता है।
(iii)	तीन सदस्यों की समिति का नामांकन - समिति का नामांकन नियमों के आधार पर किया जाएगा। बहरहाल, समिति का कार्य केवल दस्तावेज़ों की जांच और साक्षात्कार तक ही सीमित होगा।	समिति लिखित परीक्षा के स्कोर, साक्षात्कार/ कौशल परीक्षा (जहां-कहीं लागू हो), यथा लागू समुदाय-वार आरक्षण और संगत रिकॉर्डों की जांच के आधार पर उम्मीदवारों की सूची निर्धारित करेंगे और पैनल की सिफ़ारिश करेंगे।
(iv)	हम टीसीएस, जिंजर वेब प्राइवेट लिमिटेड, जस्ट एक्ज़ाम आदि, जैसे प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं की सेवाएँ लेंगे, जो नियमित रूप से कम्प्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करते हैं।	इसका निर्णय रेलवे/इकाई द्वारा लिया जाएगा। किसी सेवा प्रदाता को ठेका देते समय ठेके की सामान्य पद्धति/नियमों का पालन किया जाएगा। आरबीई सं. 97/2019 के साथ संलग्नक में यह सुझाव भी दिया गया था कि संलग्न/सन्निहित आरआरबी, जिनके पास सीबीटी का अधिक अनुभव है, से भी इस मामले में विचार-विमर्श किया जा सकता है।

(पी. एम. मीना)
उप निदेशक-II/ई(एनजी)-I
रेलवे बोर्ड